

ग्राम पंचायत पेय जल स्वच्छता कमेटी (जी पी. डब्लू. एस. सी / वी. डब्लू. एस. सी.)
का संविधान, कर्तव्य एवं अधिकार


ग्राम पंचायत / ग्रामदा. १५..... ब्लाक- स्ता. १५. १ जनपद अजमेर, उ.प्र.


भारत के संविधान में 73वें संशोधन के माध्यम से पेय जल के विषय को ग्यारवी अनुसूची में ला दिया है और इसके प्रबंधन की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों को सौंप दी गई है। इसे ध्यान में रखते हुए, "जे.जे.एम" के अंतर्गत पेयजल स्रोतों के साथ अंतःग्राम जल आपूर्ति प्रणाली की योजना कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन एवं रख-रखाव में ग्राम पंचायतें और स्थानीय समुदाय महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगीं। इसके साथ ही पंचायतें, उपयुक्त स्थानीय कर संग्रह कर सकती हैं तथा इसका इस्तेमाल कर सकती हैं और उक्त प्रकार्यों को पूरा करने के लिए सहायता-अनुदान प्राप्त कर सकती हैं। ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्लू.एस.सी.(ग्राम पेय जल स्वच्छता कमेटी)/ पानी समिति/ प्रयोक्ता समुह, आदि संविधान के 73वें संशोधन में परिकल्पित विधिमान्य इकाई के रूप में कार्य करेगी कि ग्राम पंचायत या उसकी उप-समिति गाँव में जल आपूर्ति प्रबंधन की जिम्मेदारियों को निभाएगी। जहाँ भी उप-समितियों अर्थात् वी.डब्लू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समुह, इत्यादि को चुना जाएगा, वहाँ उनकी नेतृत्व सरपंच/उप-सरपंच/ग्राम पंचायत सदस्य/ पारंपरिक मुखिया/वरिष्ठ ग्राम नेता कर सकते हैं, जिसका निर्णय ग्राम सभा ले सकती है। और सचिव के रूप में कार्य पंचायत सचिव/पटवारी/तलाठी द्वारा किया जा सकता है। इस समिति में 10-15 सदस्य शामिल हो सकते हैं, जिसमें 25 % तक पंचायत के निर्वाचित सदस्य शामिल हों ; 50% महिला सदस्य हों (जो सफलता की कुंजी हैं); और शेष 25 % में गाँव के कमजोर वर्ग(एस.सी./एस.टी) के प्रतिनिधि, उनकी आवादी के अनुपात में शामिल हों। आमतौर पर, उप-समिति का कार्यकाल 2-3 साल का होगा और जल जीवन मिशन अवधि के दौरान ग्राम सभा को उप समिति का पुनर्गठन करने का अधिकार होगा। यदि उप-समिति अर्थात् वी.डब्लू.एस.सी / पानी समिति / प्रयोक्ता समुह आदि में पंचायत के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल किन्हीं कारणों से समाप्त हो गया हो तो वी.डब्लू.एस.एम.(डिस्ट्रिक्ट वाटर एव सैनीटेशन मिशन) द्वारा उप-समिति की निरंतरता सुनिश्चित की जाएगी जब तक कि ग्राम पंचायत का पुनर्गठन नहीं हो जाता। इसी तरह, जिन राज्यों में निर्वाचित ग्राम पंचायत मौजूद नहीं है, वहाँ उप-समिति, अर्थात् वी.डब्लू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समुह आदि का नेतृत्व पारंपरिक ग्राम नेताओं/वरिष्ठ ग्राम नेता द्वारा किया जा सकता है, जिसका निर्णय ग्राम परिषद ले सकती है। ग्राम पंचायत या उसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्लू.एस.सी./पानी समिति/प्रयोक्ता समुह, आदि के लिए पंचायती राज अधिनियम के तहत राज्य सरकार, उपयुक्त अधिसूचना जारी करेगी।

ग्राम पंचायत और/या इसकी उप समिति , अर्थात् वी.डब्लू.एस.सी/ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह , आदि निम्न लिखित कार्यों का निर्वहन करेगी:

- 1- हर मौजूदा ग्रामीण परिवार और भविष्य में अस्तित्व में आने वाले किसी नये परिवार को एफ.एच.टी.सी प्राप्त हो।
- 2- जल आपूर्ति योजना के लिए ग्राम कार्य योजना (VAP) की तैयारी सुनिश्चित करना।
- 3- गाँव के भीतर जल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना बनाना, इनकी रूपरेखा बनाना, कार्यान्वयन, प्रचालन और रख-रखाव और मौसमी आपूर्ति का समय तय करना।
- 4- केन्द्रीकृत वस्तु दर निविदा प्रक्रिया के माध्यम से एस.डब्लू.एस.एम. द्वारा यथा निर्धारित एजेसियों/ विक्रेताओं से निर्माण सेवाओं/ वस्तुओं / सामग्री का प्राप्त करना/ व्यवस्थित करना।

- 5- अतः ग्राम अवसंरचना निर्माण की पूंजीगत लागत में यथा स्थिति 5 % या 10% अंशदान करने के लिए और एकजुट होने के लिए समुदाय को प्रेरित करना। यह अंशदान नकद और / या वस्तु और / या श्रम के रूप में हो सकता है।
- 6- स्रोत स्थायित्व, गंदले जल के पुनः उपयोग, जल संरक्षण उपायों, आदि सहित अंतःग्राम अवसंरचना के निर्माण का पर्यवेक्षण करना।
- 7- सामुदायिक अंशदान के लिए और प्रचालन एवं रख-रखाव सेवा शुल्क जमा करने के लिए बैंक खाता खोलना/ ग्राम पंचायत के मौजूदा खाते का उपयोग करना। यदि किसी मौजूदा खाते का उपयोग किया जा रहा हो, तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अंशदान और प्रोत्साहन राशि के लिए एक अलग बही-खाता बनाया जाए।
- 8- उन खातों के लिए रजिस्टर बनाएँ और उसका रख-रखाव करें, जो भी नकदी और / या वस्तु और / श्रम के संदर्भ में सामुदायिक योगदान; निर्माण की लागत; प्रचालन एवं रख-रखाव लागत/ जल शुल्क संग्रह और प्राप्त प्रोत्साहन राशि को दर्शाते हों।
- 9- पी.आर.ए. गतिविधियों के लिए समुदाय को एकजुट करना।
- 10- जल शुल्क/ प्रयोक्ता शुल्क निष्चित करना और एकत्र करना।
- 11-स्थानीय जल स्रोतों सहित अतःग्राम जल आपूर्ति प्रणाली के प्रबन्धन और नियमित प्रचालन एवं रख-रखाव की जिम्मेदारी लेना।
- 12-ग्राम पंचायत/ग्राम परिसंपत्ति रजिस्टर में पेयजल परिसंपत्ति विवरण दर्ज करना।
- 13-योजना के पूरा होने पर उसका प्रायोगिक तौर पर इस्तेमाल सुगम बनाना।
- 14-एक वर्ष में कम से कम चार बार आवाधिक बैठके आयोजित करना और उनका कार्यवृत्त/ रिकार्ड रखना।
- 15-फील्ड जांच किट (फिल्ड परीक्षण किट) का उपयोग करके जल की गुणवत्ता का परीक्षण सुनिश्चित करना; प्रयोगशालाओं में समय-समय पर परीक्षण कराना और सफाई निरीक्षण करवाना। इन गतिविधियों को करने के लिए ग्रामीण युवाओं/ छात्रों/ महिलाओं को नियोजित/प्रशिक्षित करना।
- 16-संबन्धित राज्य की निति के अनुसार फील्ड परीक्षण किट का उपयोग करके जल की गुणवत्ता का परीक्षण सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है।
- 17-जल के विवेकपूर्ण उपयोग पर जागरूकता अभियान चलाना; पानी का कोई दुरुपयोग न करें, और सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र विकसित करना और दीवार पर चित्रकारी आदि करवाने सहित निर्धारित आई.ई.सी. (इन्फार्मेशन, एडुकेशन,कम्यूनिकेशन)अभियान चलाना।
- 18-पंप आपरेटर, जमीनी तकनिशियन को नियुक्त करना/ काम पर लेना, नियमित रूप से मरम्मत एवं रख-रखाव कार्य करना और प्रणाली का संचालन करना।


 हस्ताक्षर
 प्रो.क.एस. अधिकारी
 ग्राम पेय जल स्वच्छता समिति
 ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
 ग्राम पंचायत


 M.P. Singh
 (Director)
 Sushma Foundation
 Varanasi(U.P)

वि०ख०-सादात-सादात
 ग्राम पेय जल स्वच्छता समिति
 ग्राम पंचायत
 प्रधान... ३४११
 ग्राम पंचायत- सादात
 ग्राम पंचायत-सादात
 वि०ख०-सादात, साजीपुर

Resolution / (संकल्प प्रस्ताव)

ग्राम सभा टाडा

कलस्टर- ब्लॉक ... स्तादात जनपद जाजीपुर ~~अजमेर~~ 30300

आज दिनांक 13/7/23 को ग्राम सभा की खुली बैठक पेय जल स्वच्छता समिति की गठन के लिए आहूत की गई जिसमें ग्राम सभा के चुने हुए सभी सदस्यों, बी.डी.सी सदस्यों के साथ समस्त ग्राम वासी भी मौजूद हैं। सभी की गरिमामयी उपस्थिति में संविधान के 73 वें संशोधन के ग्यारहवी अनुसूची के अनुरूप पेय जल स्वच्छता समिति के गठन की घोषणा की गयी तथा समिति में समस्त सदस्यों एवं ग्राम बासियों के द्वारा समिति के अध्यक्ष, सचिव एवं अन्य सदस्यों के बारे में चर्चा की गयी। उनके कर्तव्य एवं अधिकार के बारे में ग्राम प्रधान श्री/श्रीमति /जल जीवन मिशन आई०एस०ए० सुषमा फाउन्डेशन के सदस्यों के द्वारा बताया गया। यह भी अवगत कराया गया कि अध्यक्ष एवं सचिव की जिम्मेदारी समिति की समय-समय पर मीटिंग बुलाना, समिति के निर्णय पर ही पेय जल स्वच्छता के साथ-साथ ग्राम सभा में मौजूद जल श्रोतों का सरक्षण संवर्धन करना, दुषित जल के निकासी एवं उसके पुनः उपयोग की व्यवस्था करना, वर्षा के जल का उचित प्रबंध कर उससे भूजल को रिचार्ज करना, एवं पेयजल स्वच्छता समिति का मानक के अनुरूप दो खाता खुलवाना जिसे अध्यक्ष एवं सचिव (संयुक्त रूप से) के माध्यम से संचालित किया जाएगा। पेय जल की सुदृढ़ व्यवस्था करने के लिए धन की व्यवस्था के लिए अंशदान/प्रयोक्ता चार्ज निर्धारित मात्रा में ईकट्टा करना तथा सम्बन्धित खातों में जमा करना, आय-व्यय का रजिस्टर मेन्टेन रखना, अधिक धन की आवश्यकता होने पर प्रस्ताव बना कर जिला पेयजल स्वच्छता समिति के माध्यम से शासन से धन की मांग करना, समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित आदेशों/निर्देशों का पालन करना कराना है।

इस पर समस्त चुने हुए प्रतिनिधि एवं ग्राम बासियों ने करतल ध्वनि से इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया एवं ग्राम पेय जल स्वच्छता समिति गठन करने के लिए सहमति प्रदान किया। सरकारी स्तर पर समन्वय बनाकर चलने तथा खाता आदि संचालन आय-व्यय के रजिस्टर के रख-रखाव को देखते हुए ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव को ही अध्यक्ष एवं सचिव बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया तथा सर्व सम्मति से निम्न को अध्यक्ष, सचिव तथा मानक के अनुरूप सदस्यों का चुनाव किया गया:-

पेय जल एवं स्वच्छता समिति -

क्र. सं.	नाम	पिता/पति का नाम	जाति	पद	मोबाईल नं०	हस्ताक्षर
1-	श्रीमति आशा	राम अर्धा राम	चमार	प्रधान/ अध्यक्ष	9628897696	आशा
2-	श्री राजेश कुमार			सेक्रेटरी/ सचिव		राजेश
3-	श्री राम प्रवेश सिंह	स्व. देवराज सिंह	ब्राम्हण	सदस्य	9628897696	रामप्रवेश
4-	श्री बरिन्द सिंह	स्व. भृगुनाथ सिंह	" "	सदस्य	9838016622	बरीन्द
5-	श्री अरविन्द सिंह	हरिवंश सिंह	" "	सदस्य	9620121613	अरवि
6-	श्री लाल जी सिंह	स्व. सुन्दर प्रसाद	" "	सदस्य	9919032763	लालजी
7-	श्री राम अर्धा	स्व. गोविन्द राम	चमार	सदस्य	9795947766	राम
8-	श्री राजेंद्र कर्जोत्रिया	अतपल	घोषी	सदस्य	8052652642	राजेंद्र
9-	श्री सुन्दर यादव	स्व. राजन	भारद्वार	सदस्य	7348630663	सुन्दर
10-	श्री विजय यादव	स्व. राजन यादव	" "	सदस्य	8858146408	विजय
11-	श्री रामानन्द राम	स्व. देवचन्द	चमार	सदस्य	9554103316	रामानन्द

12-	श्रीमति सुभाष ली	सुधकली राम	गाँव	सदस्य	9598812557
13-	श्रीमति मुन्नी देवी	निरंजन राम	॥१	सदस्य	8601593731
14-	श्रीमति सुमन देवी	राज कुमार राम	॥॥	सदस्य	9317216225
15-	श्रीमति सुखीमा देवी	रतीताराम	॥॥॥	सदस्य	95866126 7738973376

उपरोक्त प्रस्ताव को सभी ग्राम वासीयों तथा गांव के चुने गये प्रतिनिधियों ने करतल ध्वनि मत से पास किया।



हस्ताक्षर
ग्राम पंचायत सचिव

ग्राम पेय जल स्वच्छता समिति
ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत



M.P. Singh
(Director)
Sushma Foundation
Varanasi(U.P)

प्रधान...
गाँव पंचायत- टाड़ा
ग्राम पंचायत-सादात
हस्ताक्षर
ग्राम पंचायत-सादात, गाजीपुर

ग्राम पेय जल स्वच्छता समिति
ग्राम पंचायत

119113	2025080100	गाँव	सदस्य	9598812557
75113	8601593731	॥१	सदस्य	8601593731
9317216225	9317216225	॥॥	सदस्य	9317216225
95866126	95866126	॥॥॥	सदस्य	95866126
7738973376	7738973376	॥॥॥	सदस्य	7738973376